



प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय: केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत केन नहर प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-46/2230/परि०/कैम्प/बजट, दिनांक 21.04.2026 एवं शासनादेश संख्या-609/2024 /001/2039/24-27-सिं-9-35 एसएवी/24, दिनांक 24.12.2024 एवं शासनादेश संख्या-517/2025/001/1532/25-27-सिं-9-35 एसएवी/24, दिनांक 16.10.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत केन नहर प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-10-051-01-01-42 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 50000.00 लाख में से ₹0 2,50,00,00,000.00 (रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) (केन्द्रांश ₹0 22500.00 लाख + राज्यांश ₹0 2500.00 लाख) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनु० सं०/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं०/दिनांक	प्रशा० स्वीकृति की लागत a गठित/ (अनुबन्ध की लागत) b	अनुबन्धित लागत आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध पुनरीक्षित/ लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक कमित आवंटन / व्यय	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत) (सापेक्ष 7-9(b))	वित्तीय वर्ष 2026-27	
										अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत केन नहर प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना	94/4700-10-051-01-01-42	50000.00	पत्र सं०-517/2025/001/1532/25-27-सिं०-9-35/एसएवी-24 दिनांक 16.10.2025	(a) 119151.00 / (b)- 88995.00	108245.86	10905.14	30132.89 / 30132.89	78112.97	94/4700-10-051-01-01-42	22500.00 + 2500.00 Total 25000.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या-N-69011/3/2025-BM-Section-MoWR_Part(1), दिनांक 15.05.2026 में निहित शर्तों/गाइड लाइन्स तथा SNA SPARSH से सम्बन्धित भारत सरकार व वित्त विभाग, उ०प्र० शासन के अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (4) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (7) विभाग व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (8) प्रशासकीय विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (10) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (12) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) की अध्यक्षता में सिंचाई परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु मुख्य अभियन्ता समिति की बैठक के कार्यवृत्त में लगायी गयी शर्तों का प्रशासकीय विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- (13) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (14) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (15) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (16) प्रश्नगत परियोजना हेतु आगामी किशतों की मांग अनुबन्ध गठित किये जाने के उपरान्त ही की जायेंगी।
- (17) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,00,000 (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700100510101** केन-बेतवा लिंक परियोजना कम्पोनेन्ट-1(बी) (के.90/रा.10-के.+रा.) **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-51-X-2026-27, दिनांक 27 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन बेतवा लिंक नहर (निर्माण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, झांसी।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।